



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2023/1162/20752

दिनांक: 15 September 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

J B S INSTITUTE OF PHARMACY MALINPUR - 1162

VILLAGE: MALINPUR, POST: RAMSANEHIGHAT,

DISTRICT: BARABANKI, Barabanki

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2023-24 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 28.07.2023 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2023/सोलह-1-2023-13(01)/2018 दिनांक 29 जुलाई, 2023 एवं 2046/सोलह-1-2022-13(01)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अनुसार मा० कार्यपरिषद की दिनांक 11.09.2023 की बैठक में प्रदत्त किये गये अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2464/सोलह-1-2023 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch	Intake Applied	Approved Intake by AICTE	Approved Intake by COA/PCI	Intake Approved for Affiliation
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	60	0	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं

ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 30 सितम्बर, 2023 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
9. सत्र 2023-24 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
14. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2023-24 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग

के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2023-24 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
18. जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(डॉ0 डी0पी0 सिंह)
उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।